ी/मद्यान/

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.10.21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प बागोर मे पेश हुई, तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा-पठ किया गया। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा-पठ किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:22:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

ीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मा संख्या :- 35/21 प्रा.पत्र

श्रीमती भगवती देवी w/o स्व. श्री देबीलाल खण्डेलवाल निवासी- बागोर त. मांडल (भीलवाड़ा)

--प्रार्थी

बनाम

श्री लक्ष्मीलाल s/o भंवरलाल आचार्य निवासी - बागोर तहसील - मांडल (भीलवाड़ा)

--विपक्षीगण

(प्रस्तावित/ग्रा.पं. सचिव)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश:: दिनांक 20.10.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर दन किया कि ग्राम.........बागोर II.........पटवार हल्का.........बागोर II तहसील मांडल/में उसके ते /संयुक्त खातों की आराजी नं.........4171, 5131, 5132, 5133, 5134.........,कुल किता ....05......... बा.........1.5175.........हेक्टेयर.........स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी दायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते युक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.........8.3.21.........को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को वलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का धकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा ी है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक द्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.........बागोर II......... वार हल्का.........बागोर II.........तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.........4171, 5131, 5132, 5133, ...5134.........कुल किता.........05.........रकबा.........1.5175.........हेक्टेयर......... मे के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.........बागोर.........को ....600/-.........- पये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर ... मौके पर जमा करावें । मिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे व ... शांति ... को बनाये रखते हुए मुस्तकील न्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल ... जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:42:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला- भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला- भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021